भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1823

जिसका उत्तर मंगलवार, 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

एमएसएमई को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सिडबी की पहलें

1823 # श्री अमर पाल मौर्य:
श्रीमती संगीता यादव:
डा. संदीप कुमार पाठक:
श्री संजय भाटिया:
श्री मिथलेस कुमार:
श्री मदन राठौड़:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री रागया कृष्णैया:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस) 5.0 को लागू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत लक्षित अतिरिक्त ऋण प्रवाह, एम.एस.एम.ई. के लिए गारंटी कवरेज तथा विमानन क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले समर्थन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी):

(क) और (ख): भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं -

i. केंद्रीय बजट घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बाद, सिडबी ने प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं प्रदान करने और एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने हेतु 01.04.2024 से 29.07.2026 तक भारत भर में 71 नई शाखाएं खोली हैं।

ii. 31 मार्च, 2026 तक, सिडबी का प्रत्यक्ष ऋण बकाया पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2025 के 37,781 करोड़ रुपये के मुकाबले 51,687 करोड़ रुपये है, जो 36.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

iii. बैंक प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान करता है ताकि एमएसएमई के लिए उनके ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके। 31 मार्च, 2026 तक, सिडबी का पुनर्वित्त बकाया पोर्टफोलियो ₹ 4,50,571 करोड़ है, जबकि 31 मार्च, 2025 को ₹ 3,85,327 करोड़ था, जो 16.9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

iv. सिडबी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ सह-ऋण व्यवस्था पर एक उत्पाद लॉन्च किया है ताकि वंचित/असेवित एमएसएमई तक पहुंचने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में छोटे एमएसएमई, विशेष रूप से नए उधारकर्ताओं को किफायती ऋण प्रदान किया जा सके। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ऋण वितरण को मजबूत करने और अल्पसेवित और अछूते रह गए क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच को व्यापक बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ सह-ऋण व्यवस्था शुरू की।

v. सिडबी द्वारा प्रयास योजना शुरू की गई है ताकि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमियों/सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई), विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों के लिए किफायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

vi. सिडबी ने व्यापार डेटा और डिजिटल ढांचे का उपयोग करके सूक्ष्म उद्यमों को 'ऑन टैप' इनवॉयस-आधारित (नकदी प्रवाह आधारित) छोटे मूल्य के ऋण के लिए एक जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है।

(ग) से (ङ): सरकार ने मई, 2026 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 शुरू की है। इस योजना के तहत, एमएसएमई वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान बकाया पीक फंड-आधारित कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र हैं। यह योजना पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऐसी अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए डिफॉल्ट राशि के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए, गारंटी कवरेज 90% है। हालांकि, अनुसूचित यात्री एयरलाइंस वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान कुल पीक क्रेडिट बकाया (फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित दोनों) के 100% तक अतिरिक्त क्रेडिट के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई और अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह की परिकल्पना की गई है।
